



कार्यालय प्राचार्य  
शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा  
जिला-बालोद (छ.ग.0)



website : [www.gcariunda.com](http://www.gcariunda.com) NAAC grade B E-mail: [govtcollege.arjunda1988@gmail.com](mailto:govtcollege.arjunda1988@gmail.com)

क्रमांक 244/अतिथि व्या./2024

अर्जुन्दा, दिनांक 24/07/24

महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था (अतिथि व्याख्याता)

// सूचना //

छ.ग.0 शासन आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज्य.स्था./2024 नवा रायपुर, दिनांक 06.07.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि. 2024 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.07.2024 के तारतम्य में महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2024 को शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

| क्र. | विषय            | रिक्त पद की संख्या | योग्यता  |
|------|-----------------|--------------------|--|
| 1    | राजनीति विज्ञान | 01                 | संबंधित विषय में स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक एवं अजा/अजजा/अपिव/दिव्यागजन हेतु स्नातकोत्तर पर 50 अंक प्रतिशत होने चाहिये।<br>(संबंधित विषय में पी.एच.डी., नेट/सेट, एम.फिल. उपाधि धारक एवं अनुभव को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी।) |
| 2    | अंग्रेजी        | 01                 |  |

- चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार में बनाये गये मेरिट अंक के आधार पर की जावेगी
- अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
- अंकसूचियों एवं प्रमाण-पत्रों की स्वतः प्रमाणित प्रतियों के साथ पूर्ण विवरण सहित सादे कागज में आवेदन निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व डाक या व्यक्तिगत रूप से सीधे कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान (45 मिनट) 400 रु. जो प्रतिदिन 1600 रु. तथा प्रतिमाह 41600 रु. से अधिक नहीं होगा।
- अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगी और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
- अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
- शासन द्वारा नियमित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/क्रीडा अधिकारी/क्रीडा सहायक अथवा स्थानांतरण पर अतिथि की नियुक्ति, किये जाने पर सेवाएं स्वतः समाप्त हो जावेगी।
- लिफाफों के ऊपर 'अतिथि व्याख्याता विषय' अवश्य अंकित करें।

*P Singh*

प्र. प्राचार्य

शहीद दुर्वासा निषाद  
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा  
जिला- बालोद (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /अतिथि व्या./2024  
प्रतिलिपि :-

अर्जुन्दा, दिनांक .....

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रायती भवन नया रायपुर।
- प्राचार्य (अग्रणी), शासकीय घनश्यामसिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)।

प्र. प्राचार्य